# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
## पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 325/2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023/626

अपीलार्थी :–
मालमसिंह पुत्र रेवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी लक्ष्मीनारायण नगर, जसनाथ बाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 762 ग्राम पांचला खुर्द जो दिनांक 16.05.1989 को तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकार किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री देवीसिंह भाटी (अपीलार्थी)।

–: आदेश :– दिनांक :– 29.07.2024

अपीलार्थी ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 762 ग्राम पांचला खुर्द जो दिनांक 16.05.1989 को तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरुद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता रेवंतसिंह पुत्र मगसिंह के नाम से खातेदारी जमीन खसरा सं. 402, 403, 404 एवं 405 ग्राम लक्ष्मीनारायण नगर (तत्कालीन ग्राम पांचला खुर्द) तहसील तिंवरी में आई हुई है। अपीलार्थी के पिता रेवंतसिंह का स्वर्गवास हो गया, जिनके उत्तराधिकारी/वारिसान देवीसिंह, मालमसिंह व मनोहरसिंह थे। रेवंतसिंह के फौतेदगी का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय देवीसिंह व मनोहरसिंह का राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम अमल दरामद किया गया, लेकिन अपीलार्थी का नाम म[illegible] के स्थान पर माधुसिंह जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:17:54 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 15.07.2024 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 29.07.2024 को रखी गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में बतलाया कि अभी हाल ही में प्रशासन गांवों के संघ अभियान में अपीलार्थी द्वारा अपना नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया तो वहां मौजूद अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई, जिस पर अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष बिना देरी किये उक्त अपील पेश कर दी। अपील पेश करने में जो देरी हुई है वो माकुल व सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थी के भाई मनोहरसिंह व देवी सिंह अर्थात् भूमि के सहखातेदारों ने भी शपथ पत्र पेश में बतलाया है कि अपीलार्थी मालमसिंह उनका बड़ा भाई है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय मालमसिंह की जगह माधुसिंह  दर्ज हो गया जिसे राजस्व रिकॉर्ड में मालम सिंह पुत्र रेवतसिंह किया जाना उचित है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया जिसमें भी ग्राम पंचायत ने बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में मालमसिंह की जगह माधुसिंह दर्ज हो गया। इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील पेश करने में जो देरी के कारण बतलाए गए है, वह सद्भाविक है, से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:17:54 IST
Reason: SelfAttested

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि रेवंतसिह के देहान्त के बाद फौतेदेगी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जिसमें रेवतसिंह के वारिसानों के रूप मे माधुसिंह, मनोहरसिंह व देवीसिंह का नाम अमल दरामद किया गया। अपीलार्थी ने बतलाया कि उसका नाम माधुसिंह न होकर मालमसिंह है इसके समर्थन में उसके भाई व जमीन के सहखातेदार मनोहरसिंह व देवीसिंह द्वारा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि उनके भाई का नाम माधुसिंह न होकर मालम सिंह है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 762 ग्राम पांचला खुर्द जो दिनांक 16.05.1989 को तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिंवरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व0 रेवतसिंह पुत्र मगसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

**(सीमा कविया)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**जोधपुर (ग्रामीण)**

आदेश आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(सीमा कविया)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**जोधपुर (ग्रामीण)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:17:54 IST
Reason: SelfAttested